राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.9(922) परि/ आरटीए/मु./2002/पार्ट–II/2186 जयपुर,दिनांकः– 08.02.19

अधिसूचना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 700(अ) दिनांक 12.09.1990 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 74 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (922) परि/आरटीए/मु./2002/पार्ट–II/39819, दिनांक 25.07.2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती हैः–

निर्देश

यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले एलपीजी/सीएनजी चलित ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जयपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 31.03.2019 तक ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या को 26,000 तक सीमित करेंगे एवं नवीन अनुज्ञापत्र अनन्य रूप से एलपीजी/सीएनजी चलित वाहनों को ही स्वीकृत किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.9(922) परि/ आरटीए/मु./2002/पार्ट–II/2187–96 जयपुर,दिनांकः– 08.02.19

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 11.02.19 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
8. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु ।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner